रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256633
CG-DL-E-24082024-256633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3286] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
No. 3286] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3603(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 10 नवम्बर, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4896 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा बिहार राज्य के कैमूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''दैनिक जागरण'' और ''हिन्दुस्तान'' में तारीख 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाषित किया गया था;

और, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपधारा (2) के अनुसरण में,–

(i) सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और

(ii) यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगीं

अनुसूची

बिहार राज्य के कैमूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ''ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर'' के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरणं

जिलाः कैमूर

क्रम सं0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	खाता सं0	प्लाट सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे0 में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	कुदरा	करमा / 653	58	679	निजी	कृषि	0º0453	बालरूप सिंह वो कैलास सिंह, पिता–जग्गु सिंह वो शितल व जागरूप सिंह, पिता–सोमारू सिंह, वो राम अधीन सिंह, पिता–जिउत सिंह

[फा. सं. 2024 / एलएमएल–II / 12 / 2 / ईसी / 2482]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3603(E).—WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), *vide* number S.O.4896(E), dated the 8th November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th November, 2023, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of special railway project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Kaimur in the State of Bihar;

AND WHEREAS, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely Hindustan and Dainik Jagran, dated the 16th November, 2023, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government,-

(i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and

(ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project namely, “EasternDedicated Freight Corridor” in the district of Kaimur in the State of Bihar.

DISTRICT: Kaimur

Serial Numbe	Circle Name	Village Name	Khata No.	Plat No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested persons
1	Kudra	Karma/653	58	679	Private	Agriculture	0.0453	Balrup Singh, Kailash Singh S/o Jaggu Singh and Shital, Jagrup Singh S/o Somaru Singh and Ram Adhin Singh S/o Jiyut Singh.

[F. No. 2024/LML-II/12/2/EC/2482]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA